

न्यायालय उपजिलाधिकारी देवबन्द, जिला सहारनपुर।

दिनांक 27th / 2012-13

धारा 143 उपप्रोवोविओ एंडो भूयुक्त अधि
द्वारा राजनीश कुमार (शिवचक) पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम
श्री कलीगढ़, महाविद्यालय, नागत द्वारा राजनीश कुमार (शिवचक) पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम
सहारनपुर उर्फ नागल परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

बगान

उत्तर प्रदेश सरकार।

ग़रत भूमि ग्राम रागदासपुर उर्फ नागल परगना
नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

आदेश

उपरोक्त बाद की कार्यवाही तहसीलदार देवबन्द की जांच आख्या दिनांक
01.02.2012 के आचार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार देवबन्द द्वारा अपनी जांच आख्या से अगता
कृत गज़ है। चौक कलीगढ़, महाविद्यालय, नागत द्वारा राजनीश कुमार (शिवचक) पुत्र महेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम सहारनपुर उर्फ नागल परगना नागल तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा खाला
खाली संख्या 52 खतत नम्बर 139म रकबई 1.000 हे०, लगान 50.00 रुपये बाबत भूमि ग्राम
सहारनपुर उर्फ नागल में मौके पर आबादी बना रखी है। विवादित भूमि को अकृषित घोषित करते
सहारनपुर उर्फ नागल में मौके पर आबादी बना रखी है।

हमें नागल तहसीलदार देवबन्द को अवगत किया पत्रावली के अटलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर
मैंने पत्रावली को अवगत किया एवं मौज पालन आदि का कार्य नहीं किया जा रहा

कृषि बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं

अतः तहसीलदार देवबन्द को आदेश दिनांक 01.02.2013 के आलोक में उत्तर

देश जमींदारी विभाग एवं भूमि आरक्षण अधिनियम का धारा 43 के नियम 135(1) के अन्तर्गत
ग्राम सहारनपुर उर्फ नागल में खाला खाली संख्या 52 खतत नम्बर 139म रकबई 1.000 हे०
लगान 50.00 रुपये मुक्त कर्तव्य घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति राजस्व
अधीनस्थों में प्रविष्टि अंकित करने हेतु तहसीलदार देवबन्द को भेजी जाये तथा एक प्रति
उप-निवेद्यक देवबन्द को आबतक तहसीलदार देवबन्द को भेजी जाये। उपरोक्त पत्रावली बाबत आवश्यक
कार्यवाही वाञ्छित रूप में की जाये।

दिनांक - 18.02.2013

शशि कुमार सिंह
उपजिलाधिकारी

देवबन्द

शशि कुमार सिंह
उपजिलाधिकारी
देवबन्द